संशोधन

संख्या- 10/2026/278(1)/83-2026/1848444

प्रेषक,

मनोज कुमार राय,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक सुरक्षा निदेशालय,
उ०प्र० लखनऊ।

नागरिक सुरक्षा अनुभाग **लखनऊ: दिनांक 03 अगस्त, 2026**

विषय: नागरिक सुरक्षा विभाग में आशुलिपिक संवर्ग के पुनर्गठन के पश्चात् पदों का चिन्हांकन किये जाने के संबंध में निर्गत शासनादेश में संशोधन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-8/2026-278/83-2026/1848444, दिनांक 13.07.2026 के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश में निदेशालय के संदर्भित पत्र 1656/अनु-1/87/2023 का दिनांक 06.12.2023 त्रुटिपूर्ण अंकित हो गयी है, जिसे दिनांक 06.12.2023 के स्थान पर दिनांक 06.10.2023 पढ़ा जाय। साथ ही उक्त शासनादेश सम्बंधित अधिकारी /कार्यालयों को भी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु पृष्ठांकित किया जाता है।

2-शासनादेश दिनांक 13.07.2026 को उपर्युक्त सीमा तक संशोधित समझा जाये। उक्त शासनादेश में उल्लिखित अन्य प्रावधान/शर्तें यथावत रहेगें।

भवदीय,

मनोज कुमार राय
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

पृ०सं०-10/2026/278(1)/83-2026/1848444, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम / द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
2. निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
3. संबंधित जिलाधिकारी/नियंत्रक, नागरिक सुरक्षा जनपद।
4. कमाण्डेण्ट, केन्द्रीय नागरिक सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान, बख्शी का तालाब, लखनऊ।
5. संबंधित उपनियंत्रक, नागरिक सुरक्षा जनपद।
6. संबंधित मुख्य कोषाधिकारी, नागरिक सुरक्षा जनपद।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
मनोज कुमार राय
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।